Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बीकानेर में एससी एसटी न्यायालय का विशिष्ट लोक अभियोजन 500/—रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 15 जुलाई, मंगलवार । ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी बीकानेर एसय यू इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी जगदीश कुमार पुत्र जियाराम हाल विशिष्ट लोक अभियोजक एससी/एसटी न्यायालय बीकानेर को 500/— **रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी बीकानेर एस यू को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के मुकदमें में ट्रायल के दौरान गवाह के सही बयान करवाने की एवज में आरोपी श्री जगदीश कुमार विशिष्ट लोक अभियोजक ने 1000/— रूपये रिश्वत की मांग कर 500/— रूपये पूर्व में सत्यापन के दौरान प्राप्त करना व आज दिनांक 15.07.2025 को परिवादी से मांग के अनुसरण में 500/— रूपये रिश्वत के प्राप्त किये।

जिस पर एसीबी बीकानेर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी बीकानेर एस यू के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आशीष कुमार** के नेतृत्व में **पुलिस निरीक्षक श्री इन्द्र कुमार** ने आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी जगदीश कुमार, हाल विशिष्ट लोक अभियोजक एससी/एसटी न्यायालय बीकानेर को 500/— रूपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।